मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-14/2010/नियम/चार　　　　　　　　　　भोपाल,दिनांक　　दिसम्बर, 2010

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय- सी.एस.आर. मद के तहत राशि के व्यय की सीमा का निर्धारण ।

****

राज्य शासन के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम अपने बजट में कार्पोरेट सोशल रिस्पासंबिलिटी (सी.एस.आर.) के मद का प्रावधान रखते हैं । इस राशि का व्यय सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के रूप में किया जाता है । परन्तु सी.एस.आर. मद में वही निगम अपने बजट में प्रावधान रख सकते है जो सकल घाटे में नहीं है तथा कम से कम 3 वर्ष से वे निरन्तर लाभ अर्जित कर रहे हैं, एवं नियमित रूप से शुद्ध लाभ का 20% डिविडेंड राज्य शासन को दे रहे हैं । इन संस्थाओं पर राज्य शासन अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के किसी ऋण अथवा अग्रिम के बकाया की राशि Default में नही होनी चाहिये ।

2/ राज्य शासन द्वारा इस संबंध में उक्त शर्तों का पालन करने वाले सार्वजनिक उपक्रम के लिए सी.एस.आर. मद के तहत राशि के व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1.	₹ 10 करोड़ तक शुद्ध लाभ	शून्य
2.	₹ 10 करोड से अधिक तथा 100 करोड़ तक अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ	2%
3.	₹ 100 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ-	1%

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
/-
(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-14/2010/नियम/चार　　　　　　भोपाल,दिनांक 30 दिसम्बर, 2010

प्रतिलिपि,

प्रबंध संचालक, समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मंडल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग